HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5826/2016

1. Anil Dasot S/o Late Shri S.M. Dasot, aged about 52 years, R/o S-4, Anand Mangal, D-137, Basant Marg, Bani Park, Jaipur Presently Residing At F-173, Azad Nagar, Bhilwara (Raj).
2. Sunil Dasot S/o Late Shri S.M. Dasot, R/o S-4, Anand Mangal, D-137, Basant Marg, Bani Park, Jaipur Presently Residing At F-173, Azad Nagar, Bhilwara (Raj).

----Appellants

Versus

1. Ummed Mal Dasot S/o Late Shri Sameer Mal Dasot, R/o Plot No. 52, Civil Lines, Jaipur Raj. Deceased.
2. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Through Chairman "petroleum House" 17, Jamshed Ji Tata Road, Mumbai Mh Through Senior Zonal Manager Retail Zonal Officer "tel Bhawan" Sahakar Marg, Jyoti Nagar, Jaipur Raj.
3. Senior Zonal Manager Retail Zonal Office, "tel Bhawan" Sahakar Marg, Jyoti Nagar, Jaipur Raj.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Mahendra Kumar Verma, Adv. Mr. Ankit Kumar, Adv.
For Respondent(s)	:	None present

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

19/03/2026

अपीलार्थी/वादीगण (आगे ''वादीगण'' कहा जावेगा) की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–2, जयपुर महानगर द्वारा दीवानी वाद संख्या 176/2006 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है जिसके माध्यम से वादीगण का आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. खारिज करते हुए सम्पूर्ण वाद उपशमित मानते हुए खारिज किया गया।

प्रत्यर्थीगण–प्रतिवादीगण की ओर से नोटिस तामील होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं है, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–वादीगण की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया।

वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा हिसाब–फहमी का वाद वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या–1 उम्मेदमल दासोत जो कि वादीगण का सगा ताऊ होकर परिवार का सदस्य था, उसकी दिनांक 01.06.2013 को मृत्यु हो गयी। औपचारिक रूप से प्रतिवादी पक्ष की ओर से दिनांक 29.07.2013 को सुनवाई के दौरान वादीगण के अधिवक्ता को सूचित भी किया गया, लेकिन आगामी पेशी 30.08.2013 को उसके विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की और अन्ततः दिनांक 11.10.2013 को आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश किया जो अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अस्वीकार किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का निवेदन है कि उनका आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. सद्भाविक था, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी क्रम–1 उम्मेदसिंह, वादीगण का सगा ताऊ होकर परिवार का सदस्य है, अतः ऐसी स्थिति में उन्हें प्रतिवादी क्रम–1 की मृत्यु की जानकारी होना स्वाभाविक और निश्चित है। दिनांक 29.07.2013 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादी के अधिवक्ता को सूचित किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 के तहत विहित अवधि 90 दिन में आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत कोई आवेदन पेश नहीं किया। परिसीमा की अवधि मृत्यु की दिनांक से प्रारम्भ होती है और 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद स्वतः ही वाद उपशमित हो जाता है। 90 दिन की अवधि के पश्चात दिनांक 11.10.2013 को वाद उपशमित हो चुका था, परन्तु आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है और सम्पूर्ण परिस्थितियों को विचार में लेने के उपरान्त आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा

अस्वीकार किया है। इस बिन्दु पर अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है, जिसमें कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं है, तदनुसार अपीलाधीन निर्णय पुष्ट होने तथा यह अपील खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी–वादीगण की यह अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2016 पुष्ट किया जाता है, स्थगन प्रार्थना पत्र भी उक्त प्रकार से अस्वीकार माना जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /12